न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 58 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

रूकमणी उर्फ डाली उर्फ उंकारी पुत्री सूरजमल, जाति मीणा निवासी महुआ, हाल पत्नि गोबरीलाल जाति मीणा निवासी पटपड़ा तहसील, मांगरोल जिला बारां (राज.) (अप्रार्थीया)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक (अप्रार्थीया)

आदेश दिनांक– 27.03.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीया प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 1282 रकबा 0.47 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम महुआ तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 26 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। खसरा नंबर 26 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 54 / 1085 रकबा 0.48 है. किस्म नहरी I कायम किये गये जो जरिये केचमेन्ट वर्ष 2008–09 में सामान्य कटौती 0.01 है. की जाकर हाल खसरा नंबर 1282 रकबा 0.47 है. कायम किये गये। उक्त भूमि अवैधानिक रूप से सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ के खातेदारी में मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत 2044–63 दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरीत तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों / नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:57 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible], अप्रार्थीया को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीया द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब [illegible] किया कि [illegible] ग्राम महुआ की उक्त आराजीयात कभी भी ताल[illegible] के रूप में उपयोग [illegible] रही है शुरू से ही काबिल काश्त आराजी है जो पुराने कब्जे काश्त के आधार पर अप्राथिया के पिता की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज की गई है। उक्त आराजी जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अब्दुल रहमान बनाम सरकार में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 1 व 4 से किसी भी प्रकार से उक्त आराजी प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से विवेचन किया गया है उसके अनुसार धारा प्रवाह को रोका जाना परिवर्तित किया जाना एवं उसके आधार पर परिस्थितियां बदलने का आधार माना गया है जबकि उक्त आराजी पर गत 60–70 वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत रेफरेन्स विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में प्रकरण संख्या 42/2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में चला है जिसका निर्णय दिनांक 28.10.2005 को पारित किया जाकर भूमि बेचान पर रोक लगाई गई है। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में जैरकार रही है। इस प्रकार उक्त निर्णय के तथ्यों को छुपाकर रेफरेंस पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थीया के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 26 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 54/1085 रकबा 0.48 है. किस्म नहरी I कायम किये गये जो जरिये केचमेन्ट वर्ष 2008–09 में सामान्य कटौती 0.01 है. की जाकर हाल खसरा नंबर 1282 रकबा 0.47 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I कायम कर अवैधानिक रूप से सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीया ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संर्दभित जनहित याचिका में पारित आदेश की पालना में धारा के प्रवाह को रोके जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। भूमि की किस्म परिवर्तित होने पर उक्त जनहित याचिका में पारित आदेश की पालना में कार्यवाही पोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 42/2003 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2005 की पालना में की गई कार्यवाही एवं उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में चली कार्यवाही को छुपाकर यह रेफरेंस पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा मूल खातेदार सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ के जीवनकाल में कोई कार्यवाही पेश नही की तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया कि खातेदार सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ का नाम उक्त आराजी पर कैसे दर्ज हुआ। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और न ही वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थीया विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी अप्रार्थीया की आजीविका का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम महुआ खसरा नंबर 26 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 54/1085 रकबा 0.48 है. किस्म नहरी I बने है, जो सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ के खातेदारी में दर्ज है। जो जरिये केचमेन्ट वर्ष 2008–09 में सामान्य कटौती 0.01 है. की जाकर हाल खसरा नंबर 1282 रकबा 0.47 है. कायम किये जाकर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीया के वर्तमान में वाके ग्राम महुआ में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.47 है. किस्म नहरी I जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 26 मि. रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका सूरजमल पुत्र गोपाल, कोम मीणा निवासी महुआ को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:57 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)